यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री के.जी.विजयवर्गीय, आर ए एस

अपील संख्या– टी.ए./419/2007

उनवान

लादू पिता रामा जाट निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

––अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता लालू जाट निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. मूला पिता कालू जाट निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाडा
3. रामेश्वर पिता रामचन्द्र जाट निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाडा
4. अम्बालाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाडा
5. मु. झमकू पत्नि पिता रामचन्द्र जाट निवासी सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,भीलवाडा

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
प्रकरण संख्या 68/04 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.4.06

अभिभाषक : श्री भूपेन्द्रसिंह कानावत,अपीलार्थी एडवोकेट
प्रत्यर्थी सं.1 से 5 एडवोकेट बावजूद सूचना अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 14.02.08

अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने एक वाद अर्न्तगत धारा 88.89.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पालडी की आराजी संख्या 1034.1035.1317 किता 3 रकबा 3 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण ने अपने परिवार का सजरा निम्न प्रकार बताया :–

कालू पिता गोमा
।
लालू फौत — रामा फौत — मूला
।
मांगीलाल(वादी1) — लादू लाऔलाद — (वादी नं02)

और इसी प्रकार प्रतिवादी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

प्रतिलिपि
19/2/08

संख्या 1034.1035 एवं 1317 कालू पिता गोमा जाट की खातेदारी मे होना निर्विवाद है। जमाबन्दी सं. 2057 से 2060 मे आराजी संख्या 1034 व 1035 को लालू, श्रीकिशन पिता कालू, रामेश्वर,अम्बालालपिता रामचन्द्र झमकू पत्नि रामचन्द्र के खाते मे दर्ज कर दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 334 के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि कालू पिता गोमा की मुत्यु होने पर विरासत से खाता लालू श्रीकिशन पिता कालू रामेश्वरलाल अम्बालाल पिता रामचन्द्र एवं झमकू बेवा रामचन्द्र के खाते मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज किया गया है। वादीगण ने जो दावा पेश किया है उसमे रामा का लडका लादू यानि अपीलार्थी आज भी जीवित है और उसने अपील पेश की है ऐसी उसके हको की अनदेखी नही की जा सकती है। वादी एवं प्रतिवादी जो इस प्रकरण मे प्रत्यर्थी है वे बावजूद सूचना के अनुपस्थित है और उन्होने अपीलार्थी के कथनों का खण्डन नही किया हैं अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सद्भाविक है तथा उसे आवश्यक पक्षकार होते हुये मृतक बताकर अधीनस्थ न्यायालय मे जो डि्की पारित करवाई गई है वह समर्थन योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दोनो प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मे मानी जाती है तथा अपील मे हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर अपील करने की इजाजत दी जाती है।

6. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डि्की दिनांक 24.4.06 को खारिज किया जाता है। अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को भी आवश्यक पक्षकार के तोर पर प्रतिवादी की हैसियत से दर्ज कर अजसिरे नो निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 14.2.08 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के जी विजयवर्गीय)
प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

सत्य फोटो प्रतिलिपि
14/2/08